रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 139] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 10, 1993/फाल्गुन 19, 1914
No. 139] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 10, 1993/PHALGUNA 19, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 1993

का.आ. 157 (अ).—आतंकवादी तथा विघटनकारी कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987 (1987 का 28) की धारा 13 की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, आन्ध्र प्रदेश राज्य में उक्त अधिनियम की धारा 9 के तहत गठित नामीदिष्ट न्यायालय जिला व सत्र न्यायालय, विशाखापत्तनम में एल.

टी. डी. ई. के समुद्री जहाज एम वी आहत से संबंधित केस सं. आर. सी (ख)/ 93 -वी. एस. पी. तथा उससे जुड़े या प्रसंगिक किसी अन्य मामले में तथा उक्त धारा के उपबंधों के तहत नामोदिष्ट न्यायालय के रूप में घोषित किसी अन्य न्यायालय के समक्ष जहां उपर्युक्त केस से संबंधित कानूनी मामलों की सुनवाई होती है, कार्यवाई करने के लिए श्री एस. रामचन्द्र राव, एडवोकेट, विशाखापत्तनम को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है।

[सं. 3/1/91-लीगल सैल]

सी. डी. आर्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th March, 1993

S.O. 157(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of section 13 of the Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act, 1987 (28 of 1987), the Central Government hereby appoints Shri S. Ramachandra Rao, Advocate, Visakhapatnam as Special Public Prosecutor for conducting the case No. RC. 1(5)|93-VSP relating to the LTTE ship M.V. Ahat and any other matters connected therewith or incidental thereto in the Designated Court—District and Session Courts at Visakhapatnam constituted under section 9 of the said Act in the State of Andhra Pradesh and also before any other court declared as Designated Court under the provisions of the said section where legal matters relating to the above said case comes up for hearing.

[No. 3|1|91-Legal Cell.]

C. R. ARHA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993